## लिछमा बनाम अणची आदि

06-05-2025

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्षों को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं अपीलांट द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया था जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से डिक्री किया गया है। अपीलांट स्वयं का दावा डिक्री किया जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम दिन से रही है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 17–09–2021 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 20–09–2021 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली गई परन्तु अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत अपील दिनांक 02–03–2022 को प्रस्तुत की गई है जो स्पष्टतया मियांद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है परन्तु मियांद में छूट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण अब किसी प्रकार की कोई छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः अपीलांट की अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर होने एवं मियादं प्रार्थना पत्र के अभाव में मियांद के बिन्दु पर अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी ने प्राथमिक आपत्ति के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा की भावना से दावा डिक्री किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने से इनको मियांद अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं हो सकी एवं अपीलाधीन आदेश से दिन प्रतिदिन की जानकारी जुटा पाना कठिन कार्य है। जिससे अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को मियांद अधिनियम के मध्यनजर छूट प्रदान की जावे। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहां तकनीकी बिन्दुओं को गौण रखते हुए गुणावगुण पर रूख किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को खारिज किया जाकर अपीलांट द्वारा मियांद प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अंदर मियाद शामिल की जावे।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद डिक्री किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का प्राथमिक आपत्ति में मुख्य कथन यह है कि अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से पेश की गई है अतः अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में पत्रावली के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 02–03–2022 को प्रस्तुत की है एवं अपील के साथ मियादं प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20–09–2021 को प्राप्त कर ली गई थी जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं होने से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मियांद बिन्दु पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर